

## आदेश

महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण), प्रतिशोध और प्रतिशोध अधिनियम-2013 का प्रभावी क्रियान्वयन कराये जाने हेतु संस्था के निम्न अधिकारी/कर्मचारी की कमेटी गठित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

01. श्रीमती नीलम श्रीवास्तव, अध्यक्ष कम्प्यूटर संस्थागत।
02. श्रीमती निरंजना जायसवाल, कनिष्ठ सहायक, संस्थागत।

( एस0के0श्रीवास्तव )

प्रधानाचार्य

राजकीय महिला पालीटेक्निक  
इलाहाबाद

कार्यालय आधानाचार्य, राजकीय महिला पालीटेक्निक, इलाहाबाद।

पृ0संख्या: 1391-92 /कैम्प आदेश-2017

दिनांक: 24-09-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।

01. श्रीमती नीलम श्रीवास्तव, अध्यक्ष कम्प्यूटर संस्थागत।
02. श्रीमती निरंजना जायसवाल, कनिष्ठ सहायक, संस्थागत।

( एस0के0श्रीवास्तव )

प्रधानाचार्य

राजकीय महिला पालीटेक्निक  
इलाहाबाद

25-9-18

14 25/09/18